न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष— आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3180—तीन/2014 विरूद्ध पारित आदेश दिनाक 5—9—2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला रीवा के प्रकरण कमांक—181/अ—68/2013—2014

लक्ष्मीकान्त तिवारी तनय कौशल प्रसाद तिवारी,
निवासी ग्राम रघुनाथपुर, तहसील हुजूर,, जिला रीवा म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

शासन म0 प्र0 द्वारा पटवारी हल्का खैरा

.....अनावेदक

श्री प्रदीप मिश्रा, अभिभाषक, आवेदक

व

: आ दे श ::

(पारित दिनांक— 2- 12 - 2015)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 5—9—2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है कि ग्रामवासीगण ग्राम रघुनाथपुर द्वारा कलेक्टर रीवा को दिनांक 18—1—14 को प्रस्तुत शिकायती आवेदन पत्र जॉच हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त शिकायती आवेदन पत्र तहसीलदार, तहसील हुजूर वृत्त गोविन्दगढ़ को जांच कार्यवाही हेतु भेजा गया । नायब तहसीलदार द्वारा उक्त शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर अपने न्यायालय में प्रकरण कमांक 7/अ—68/13—14 पंजीबद्ध कर जांच कार्यवाही करते हुये पारित आदेश दिनांक 28—8—14 से आवेदक को भूमि सर्वे कमांक 39 रकबा 0.008 हैक्टेयर एवं सर्वे कमांक 40 रकबा 0.523 हैक्टेयर से बेदखल करने के

आदेश देते हुए 5000/–रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया । नायब तहसीलदार के उक्त बेदखली आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत कर धारा 52 स्थगन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 28–8–14 के कियान्वयन को स्थगित करने का निवेदन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने अपील प्रकरण कमांक 181/अ–68/13–14 में पारित आदेश दिनांक 5–9–14 से अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगाये जाने के आदेश दिए जाकर संहिता की धारा 52 स्थगन का आवेदन निरस्त कर दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 5–9–14 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण में उपरोक्त स्थिति के संबंध में आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किए गये । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह बताया गया कि आवेदक का भूमि सर्वे कमांक 39 एवं 40 (जिसका पुराना सर्वे कमांक 38) दोनों का कुल रकबा 1.45 एकड़ राजस्व अभिलेख अनुसार म0 प्र0 शासन दर्ज है । उक्त सर्वे कमांक के अंश रकबा 0.085 हैक्टेयर में पक्की सड़क तथा 0.016 हैक्टेयर शासकीय शिक्षा गारंटी स्कूल ग्राम रघुनाथपुर बना हुआ है । उक्त भूमि के शेष रकबा 6.50 एकड़ पर आवेदक 50–60 वर्ष से पक्का मकान बनाकर आबाद है, यह मकान पूर्वजों के समय से बना है, जो 50–60 वर्ष पुराना है जहां पर 20 पेड़ आवले तथा 10 पेड़ नीम के 5 पेड़ नीबू के एवं करौदा के 2 पेड़ लगे है । इसके अतिरिक्त बरगद, पीपल आदि के पेड़ लगे होने से ट्यूबवेल लगा है तथा उक्त पेड़ भी 50 वर्ष पुराने है । उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि आवेदक के पूर्वज सन 1955–56 से आवेदक के बाबा रूद्रप्रसाद तिवारी द्वारा 60 वर्ष पूर्व मकान बनवाया गया था तथा तभी से आवेदक पीढी दर पीढी उक्त विवादित भूमि पर काबिज है । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि आवेदक उक्त विवादित भूमि पर शासन की जानकारी में काफी लम्बी अवधि संहिता के प्रभाव में आने से पहले से ही काबिज है । इस कारण धारा 248 आकर्षित नहीं होती है । आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी बताया गया कि इस विवादित भूमि के संबंध में आवेदक एवं म0 प्र0 शासन के मध्य धारा 57 (2) के तहत प्रकरण कमांक 2918/14/07–2 प्रचलित होकर विचाराधीन है । इसके समर्थन में उनके द्वारा राजस्व विभाग की आदेश पत्रिका दिनांक 28–4–15 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि उक्त परिस्थितियों में भी आवेदक के विरूद्ध संहिता की धारा 248 के प्रावधान लागू न होने से बेदखली की कार्यवाही की जाना उचित नहीं है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा उक्त संबंध में न्याय दृष्टांत म0

प्र0 लॉ जर्नल 2012 भाग–2 पेज 16 संतोष शर्मा वि0 म0 प्र0 शासन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धांत का भी हवाला दिया, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि संहिता के प्रवर्तन के पूर्व यदि अभिधारी आधिपत्य में है तो वह म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 158 के तहत विधि के प्रवर्तन से भूमिस्वामी अधिकार अर्जित कर चुका है । इसके अतिरिक्त आवेदक अभिभाषक द्वारा धारा 52 स्थगन के संबंध में राजस्व निर्णय 1989 पेज 194 मुन्ना वि0 रामरतन तथा राजस्व निर्णय 1985 पेज 336 मातादीन वि0 हुकुमसिंह के प्रकरण में प्रतिपादित न्याय सिद्धांतों का भी हवाला दिया गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से संहिता की धारा 52 स्थगन आवेदन को एसडीओ द्वारा निरस्त किये जाने के संबंध में सहायता चाहे जाने पर जोर दिया गया है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा 52 के संबंध में प्रतिपादित न्याय सिद्धांतों का हवाला लेते हुए बताया गया कि माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि "धारा 52 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता के तहत किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का निष्पादन व प्रभाव ऐसी स्थिति में आवश्यक रूप से स्थगित किया जावेगा, जहां आवेदक की अपील में सारवान तथ्य निहित हों व अपील विचार योग्य हो तथा आवेदक के आदेश के कियान्वयन से इस तरह की क्षति की संभावना हो, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी अन्य तरीके से किया जाना संभव न हो । " आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में बताया गया कि आवेदक द्वारा सूची के साथ विवादित भूमि पर वर्ष 1956–57 से कब्जा होने के संबंध में आवश्यक अभिलेख की छाया प्रतियां भी प्रस्तुत की जाना बताया गया है, जिसका उल्लेख लिखित तर्क के आधार बिन्दु 2 में अंकित किया जाकर निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है ।

3/ प्रकरण में अनावेदक शासन है, जिसके संबंध में पारित आदेश एवं अभिलेखीय आधार पर निर्णय लिए जाने हेतु अभिलेखों का अवलोकन किया जा रहा है ।

4/ प्रकरण में उपरोक्त प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन से यह तथ्य प्रकट हो रहा है कि आवेदक द्वारा यह निगरानी संहिता की धारा 52 स्थगन आवेदन को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 5–9–14 से निरस्त किए जाने के कारण प्रस्तुत की गई है, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त किये जाने का पर्याप्त एवं समुचित कारण अंकित नहीं किया गया है । सिर्फ यह कहते हुए निरस्त किया गया है कि भूमि शासकीय है इस कारण स्थगन आवेदन धारा 52 निरस्त किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इन तथ्यों पर विचार नहीं किया गया कि पटवारी द्वारा दिनांक 10–1–01 तथा अतिरिक्त तहसीलदार के प्रकरण कमांक 45/अ–6–अ/03–04 में

पारित आदेश दिनांक 26–6–04 में आवेदक का उक्त विवादित भूमि पर 40–50 वर्ष से कब्जा होने के आधार पर आवेदक का कब्जा अंकित होने का आदेश दिया गया है । इस आदेश के विरूद्ध किसी प्रकार की अन्य कार्यवाही एवं अपील/निगरानी किसी न्यायालय में प्रस्तुत होना अभिलेख से प्रदर्शित नहीं है । अभिलेख अवलोकन से यह तो स्पष्ट है, कि आवेदक का कब्जा उक्त विवादित भूमि पर काफी लंबे समय से है, जिस पर उसका पक्का मकान बना है, जो पटवारी रिपोर्ट तथा अतिरिक्त तहसीलदार के आदेश से एवं प्रकरण में संलग्न अभिलेख से प्रदर्शित हो रहा है ।

5/ चूँकि प्रकरण निगरानी स्थगन आवेदन संबंधी संहिता की धारा 52 को निरस्त किए जाने संबंधी अंतरिम आदेश दिनांक 5–9–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । इस कारण प्रकरण के गुणदोष पर विचार नहीं किया जा रहा है । स्थगन के संबंध में संहिता की धारा 52 में निम्न प्रावधान किये गये है :–

"धारा 52–(ए) रोक में विचारणीय तत्वः– हक संबंधी विवाद में निचले न्यायालय ने एक दूसरे के विपरीत निर्णय किए हो, तब उचित यही है, कि निपटारा न होने तक यथापूर्ण स्थिति कायम रखी जावे । आक्षेपित आदेश अधिकारिता रहित हो,, मामला प्रथम दृष्टया अपीलार्थी के पक्ष में हो, तब अपील न्यायालय द्वारा रोक आदेश प्रदान किया जाना चाहिए । लंबे अवधि के कब्जे से वंचित होने की संभावना पर रोक आदेश प्रदान किया गया" । राजस्व अभिलेखों में से नाम हटाए जाने की दशा में भूमि के विकय की संभावना पर राजस्व मण्डल द्वारा रोक आदेश प्रदान किया जाना चाहिए ।

(ऐ) रोक आदेश की शक्ति का प्रयोगः– अपील सुनवाई हेतु ग्रहण किए जाने का निष्कर्ष यह निकाला जावेगा कि अपीलार्थीगण के मामले में प्रथम दृष्टया कानूनी मुद्दा निहित है, तब रोक आदेश प्रदान करने में इन्कार नहीं किया जाना चाहिए ।

(औ) रोक का आवेदन मंजूर या नामंजूर करने के आदेश के विरूद्ध अपील या पुनरीक्षणः– संहिता की धारा 46 के खण्ड (ग) द्वारा रोक का आवेदन मंजूर या नामंजूर करने के आदेश के विरूद्ध अपील स्पष्ट वर्णित की गई है, परन्तु ऐसे आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण पर कोई रोक नहीं है ।

रोक देने या न देने के आदेश के विरूद्ध जो पुनरीक्षण का आवेदन प्रस्तुत किया जावे उसमें पुनरीक्षण न्यायालय अपने निर्णय को केवल रोक आदेश के औचित्य के विवेचन तक सीमित रखेगा, उसमें मामले के गुणागुण पर विचार नहीं होगा ।

6/ प्रकरण में विद्यमान परिस्थितियों तथा संहिता में निहित प्रावधानों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि चूँकि प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राह्य कर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब करने के आदेश दिये गये, किन्तु धारा 52 का आवेदन निरस्त किया गया है, जो उचित नहीं है, क्योंकि अभिलेख अवलोकन से यह तथ्य प्रकट हो रहा है कि आवेदक का विवादित भूमि पर काफी लंबे समय से मकान आदि बनाकर कब्जा है । इसके साथ ही प्रकरण में गुणदोष पर निराकरण तक यदि यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाता है तो ऐसे आदेश से आवेदक एवं शासन दोनों ही पक्षों का कोई हित वर्तमान में प्रभावित हाने की संभावना नहीं है । वही यदि यथास्थिति का आदेश नहीं दिया जाता है तब आवेदक के मकान को यदि हटा दिया जाता है तो उसे अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना बढ़ जाती है ।ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 5–9–14 के बिन्दु कमांक 3 में पारित आदेश धारा 52 स्थगन आवेदन को निरस्त करने संबंधी आदेश को निरस्त किया जाता है। शेष बिन्दु यथावत स्थिर रखे जाते है । तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे न्यायहित में संहिता की धारा 52 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में आवेदक की ओर से प्रस्तुत धारा 52 के आवेदन पर विचार करते हुए प्रकरण में अधिकतम 89 दिवस तक के लिए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश प्रसारित करें तथा इसी 89 दिवस की अवधि के दौरान (उनको इस आदेश की संसूचना के उपरान्त) अनुविभागीय अधिकारी उनके न्यायालय के प्रकरण में गुणदोष पर बोलते स्वरूप~~का~~ अंतिम आदेश पारित करना भी सुनिश्चित करें । उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण राजस्व मण्डल से समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापिस हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश
ग्वालियर